तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/2269/2003/बीकानेर ख्याली गिरी बनाम आसूदास व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.19	**खण्डपीठ** **श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता अपीलांटस श्री के0के0पुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 रेस्पो0 3 व 4 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं। **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी आसूदास ने विचारण न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, बीकानेर एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपटित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत बाबत खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत करते हुये कहा कि ग्राम रोही मलकीसर के खसरा नं0 294 रकबा 19.16 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा एक साल हेतु टी0सी0पर आवंटित की गयी। रेस्पो0/वादी द्वारा समय समय पर उसका नवीनीकरण करवाता आ रहा है। इस अनुसार वह आवंटित भूमि पर लगातार पिछले 10 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। आवंटित भूमि का राज्य सरकार द्वारा रिकार्ड में गलत प्रविष्टि करते हुये भूमि को आराजीराज दर्ज कर दी गयी। इसलिए रेस्पो0/वादी खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने दावा व जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये अपेन निर्णय दिनांक 15.11.99 वाद वादी के पक्ष में डिक्री करते हुये उसे गैर खातेदार घोषित कर दिया एवं राजस्व रिकार्ड में आराजीराज के स्थान पर वादी/रेस्पो0 को गैर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दे दिये गये। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.99 के अपीलांट ख्याली गिरी ने प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/2269/2003/बीकानेर ख्याली गिरी बनाम आसूदास व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 28.2.003 से अस्वीकार कर दी। अपीलीय न्यायायल के उक्त निर्णय दिनांक 28.02.03 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित भूमि खसरा नं0 294 रकबा 19.16 बीघा के अपीलांटस गैर खातेदार थे परन्तु उक्त भूम उपनिवेशन क्षेत्र में जान पर आराजीराज घोषित कर दी गयी और रेस्पो0 आसूदास को टी0सी0 पर आवंटित कर दी गयी लेकिन आसूदास उक्त भूमि का कब्जा लेने नही आया इसलिए भूमि पुनः डीकोलोनाईज्ड कर दी गयी। इस बाबत आसूदास ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक वाद प्रस्तुत करके दावा अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया। जरिये दावा उसे गैर खातेदार घोषित कर दिया गया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट पूर्व में विवादित आराजी के गैर खातेदार थे और आसुदास ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो दावा प्रस्तुत किया उसमें उसने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया। मौके पर विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2030 में भी हमारा नाम का अंकन है तथा मिलान क्षेत्रफल में हमने पेश किया है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट को वाद में पक्षकार बनाये बिना घोषणा का वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के तहत वह विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार थे परन्तु उसके बाद 15ए के प्रावधान लागू होने के बाद उसे खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सका। परन्तु इसके पश्चात 15एएए काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिकी/टी0ए0/2269/2003/बीकानेर ख्याली गिरी बनाम आसूदास व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पश्चात वह स्वतः ही विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार बन गये। बहस के अतं में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी वर्ष 1877–78 में उसे टी0सी0 पर आवंटित की गयी थी और संवत 2034–42 तक इसका नवीनीकरण होता रहा है। विवादित आराजी बाबत खसरा गिरदावरी भी रेस्पो0/वादी के नाम दर्ज है। सवंत 2043 सरकार के निदर्शो के बावजूद रेस्पो0/वादी को बतौर खातेदार दर्ज करने के बजाय भूमि आराजीराज दर्ज कर दी गयी। उसके बाद जरिये वाद रेस्पो0/वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि रेस्पो0 विवादित आराजी का गैर खातेदार था लेकिन जब इस भूमि का टी0सी0 आवंटन किया गया तब यह भूमि आराजीराज दर्ज थी। रिकार्ड में संवत 2033–34 में यह भूमि आराजीराज दर्ज थी। सवंत 2034 में रेस्पो0 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के तहत जितनी खातेदारी मिल सकती थी उतनी भूमि की खातेदारी दे दी गयी। जब भूमि का आवंटन किया गया उस समय भूमि आराजीराज दर्ज थी इसलिए आवंटन हो जाने के कारण विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत व न्यायसंगत है इसलिए प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दो अपीलों का निस्तारण एक ही समान निर्णय से यह कहते हुये किया गया है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमियां व पक्षकार समान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के प्रावधान के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा 42 बीघा भूमि की खातेदारी प्रदान की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिकी/टी0ए0/2269/2003/बीकानेर ख्याली गिरी बनाम आसूदास व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गयी है और शेष 19 बीघा भूमि की खातेदार प्रदान नहीं करते हुये धारा 88, 89 व 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत गैर खातेदारी की घोषणा की गयी है। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारी की बजाय गैर खातेदारी घोषणा किस प्रकार और किन विधिक आधारों पर और किन सबंधित दस्तावेजों के आधार पर की गयी है। इनका पूर्ण विवरण व परीक्षण करते हुये ही विधिक निष्कर्ष पर पहुॅचना आवश्यक था। इसका दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया और ना ही समुचित रूप से विधिक निष्कर्ष पर पहुँचा गया है। अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलांट पक्ष को पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। सभी सबंधित पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समुचित व विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाते है।

परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे राज्य सरकार और सभी सबंधित पक्षकारों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये राजस्व रिकार्ड का पूर्ण परीक्षण कर पुनः नये सिरे में प्रकरण में निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.11.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष